प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 819/2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/
अनावेदक क्रमांक 2: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रथ्यार्थीगण: श्रीमती प्रमिला देवी एवं अन्य

आदेश की उद्घोषणा हेतु — 10.02.2009 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-

श्री दिलीप रावसाहब देशमुख

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 819 / 2008

अपीलार्थी:
अनावेदक क्रमांक 2:

1. यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, राजेन्द्र नगर चौक, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रथ्यार्थीगण:

1. श्रीमती प्रमिला देवी, उम्र 34 वर्ष, पत्नी स्व. अर्जुनकांत गुप्ता.
2. रजनीश गुप्ता, उम्र 15 वर्ष, पुत्र स्व. अर्जुनकांत गुप्ता.
3. कु. आरती गुप्ता, उम्र 14 वर्ष, पुत्री स्व. अर्जुनकांत गुप्ता. (प्रथ्यार्थी क्रमांक 2 एवं 3 – अप्राप्तवयस्क, प्राकृतिक अभिभावक माता प्रथ्यार्थी क्रमांक 1 श्रीमती प्रमिला गुप्ता)। — सभी निवासी ग्राम लखराम, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)। **दावाकर्ता**
4. श्रीमती मीना साहू, उम्र 37 वर्ष, पत्नी स्व. बिसाहूराम, निवासी पोस्ट लखराम, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। **अनावेदक क्रमांक 1**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटरयान अधिनियम की धारा 173 के अधीन अपील)

उपस्तिथि : श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री पंकज अग्रवाल अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री सुरेश वर्मा अधिवक्ता, प्रथ्यार्थी क्रमांक 1 से 3 की ओर से।

श्री गौतम खेत्रपाल अधिवक्ता, प्रथ्यार्थी क्रमांक 4 की ओर से

आदेश

(दिनांक 10 फ़रवरी, 2009 को पारित)

1. अपीलार्थी/बीमाकर्ता ने दिनांक 03.05.2008 को पारित अधिनिर्णय को, जो कि दावा प्रकरण क्रमांक 07/2006 में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (आगे "अधिकरण") द्वारा पारित किया गया था, को चुनौती दी है; जिसके अंतर्गत मृत्यु प्रकरण में ₹2,16,000/- क्षतिपूर्ति राशि का दायित्व अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर अधिरोपित किया गया है।

2. निर्विप्रकरण रूप से, दिनांक 05.07.2002 को मोटरसाइकिल क्रमांक □.□.10-□/0264 (आगे "मोटरसाइकिल") जिसे स्व. बिसाहुराम स्वामी एवं चालक थे तथा जो अपीलार्थी/बीमाकर्ता के द्वारा बीमित थी, एक दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें अर्जुनकांत, जो उक्त मोटरसाइकिल पर सवार था, की मृत्यु हो गई। मृतक की विधवा एवं दो अप्राप्तयौवन संतानें ने अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत (आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) अधिकरण के समक्ष आवेदन, इस आधार पर प्रस्तुत किया कि चूँकि वाहन बीमित था, अतः क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का दायित्व पूर्णतः बीमाकर्ता पर ही होगा। अपीलार्थी/बीमाकर्ता ने, अन्य बातों के साथ यह भी प्रतिप्रकरण किया कि बीमा-पॉलिसी के अंतर्गत पीछे बैठे सवार का जोखिम आच्छादित नहीं था, फलतः वह किसी भी क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दायी नहीं है। यह भी प्रतिप्रकरण किया गया कि मोटरसाइकिल का चालक अर्थात बिसाहुराम साहू, दुर्घटना की तिथि को वैध ड्राइविंग लाइसेंस का धारक नहीं था।

3. अधिकरण ने क्षतिपूर्ति अदा करने का दायित्व बीमाकर्ता पर अधिरोपित किया, क्योंकि अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि मोटरसाइकिल बिसाहुराम द्वारा बीमा-पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाई जा रही थी। चूँकि निर्विप्रकरण रूप से दुर्घटना की तिथि को मोटरसाइकिल बीमित थी, इसलिए अधिकरण ने क्षतिपूर्ति अदा करने का दायित्व अपीलार्थी/बीमाकर्ता पर अधिरोपित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस अपील में श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एकमात्र आधार यह प्रस्तुत किया गया कि मोटरसाइकिल की बीमा-पॉलिसी "एक्ट ओनली पॉलिसी " थी, जिसके अंतर्गत केवल तृतीय पक्षकार के जोखिम को आच्छादित करने हेतु प्रीमियम प्राप्त किया गया था। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुधाकरण के.वी. एवं अन्य, 2008 (3) टी.ए.सी. 1 (सुप्रीम कोर्ट)** का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया गया कि "एक्ट ओनली पॉलिसी" के अंतर्गत बीमा कंपनी पर मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के जोखिम को आच्छादित करने का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है, क्योंकि दोपहिया वाहन के पिछली सीट पर सवार व्यक्ति तृतीय पक्षकार नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त **महाप्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम. लक्ष्मी एवं अन्य, 2009 (1) टी.ए.सी. 6 (सुप्रीम कोर्ट)** का भी अवलंब लिया गया।

5. प्रथ्यार्थीगण/दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश वर्मा ने आक्षेपित अधिनिर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया।

6. प्रथ्यार्थीगण क्रमांक 4/स्वामी की ओर से अधिवक्ता श्री गौतम खेत्रपाल ने यह निवेदन किया कि आक्षेपित बीमा पॉलिसी "एक्ट ओनली पॉलिसी" नहीं है, बल्कि एक समग्र पैकेज पॉलिसी है। यह तर्क दिया गया कि जब तीसरे पक्षकार के जोखिम को बीमाकर्ता द्वारा आच्छादित किया गया है, तो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों का जोखिम भी बीमा कंपनी द्वारा आच्छादित किया गया है। माननीय अधिवक्ता ने बीमा पॉलिसी के धारा □□ का हवाला देते हुए उसमें वर्णित प्रावधान को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अनुसूची में उल्लिखित दायित्व की सीमाओं के अधीन, कंपनी बीमित वाहन के उपयोग से उत्पन्न अथवा उससे संबंधित किसी दुर्घटना की स्थिति में, बीमित व्यक्ति को उन समस्त राशियों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जिनका भुगतान करने के लिए बीमित व्यक्ति विधिक रूप से उत्तरदायी हो जाएगा।"

    i. किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक आघात, जिसमें बीमित वाहन में ले जाए जा रहे सवार भी सम्मिलित हैं (बशर्ते कि ऐसे सवारों को किराया अथवा पारिश्रमिक पर न ले जाया गया हो) [जैसा कि मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया है]; तथापि, मोटरयान अधिनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना छोड़कर, कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी जहाँ ऐसी मृत्यु अथवा आघात बीमित द्वारा

उक्त व्यक्ति के रोजगार से उत्पन्न अथवा सेवा के दौरान घटित हुआ हो।"

बीमित वाहन में ले जाए जा रहे सवारों सहित' शब्दों पर विशेष बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त बीमा पॉलिसी एक व्यापक पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत तीसरे पक्षकार के जोखिम के साथ-साथ वाहन में बैठे सवारों का जोखिम भी बीमाकर्ता द्वारा आच्छादित किया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि बीमा कंपनी का दायित्व इस प्रकार संविदात्मक दायित्व था, और इसलिए, अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता/बीमाकर्ता पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व अधिरोपित करना न्यायोचित था। इस संदर्भ में **महाप्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम. लक्ष्मी एवं अन्य, 2009 (1) टी.ए.सी. 6 (सुप्रीम कोर्ट)** का अवलंब लिया गया, यह तर्क करते हुए कि अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता क्योंकि इस प्रकरण की बीमा पॉलिसी मात्र एक्ट ओनली पॉलिसी नहीं थी। इसके अतिरिक्त **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृजलता एवं अन्य, 2008 (2) टी.ए.सी. 888 (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)** का भी अवलंब लिया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रथ्यार्थी पक्षकारकारो के तर्कों पर विचार करने के उपरान्त, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अधिकरण ने बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए इस आधार पर कोई विचार नहीं किया कि बीमाकर्ता/अपीलकर्ता की पॉलिसी के अन्तर्गत पिछली सीट पर बैठे सवार का जोखिम आच्छादित नहीं था। केवल इस आधार पर कि दुर्घटना की तिथि को मोटर साइकिल बीमित थी, बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व अधिरोपित किया गया। मोटरयान अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत वाहन स्वामी के लिए यह आवश्यक है कि वह तृतीय पक्षकार के दावे की प्रतिपूर्ति हेतु बीमा अनुबंध करे। यह प्रावधान अनिवार्य स्वरूप का है। तथापि, वाहन स्वामी चाहे तो स्वयं एवं वाहन में बैठे सवारों के जोखिम को भी आच्छादित करने हेतु बीमा अनुबंध कर सकता है। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार वाहन स्वामी को प्रतिपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुधाकरण के.वी. एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में यह कहा गया कि वहां बीमा अनुबंध केवल तृतीय पक्षकार के जोखिम को आच्छादित करने के लिए किया गया था, न कि वाहन स्वामी अथवा पिछली सीट पर बैठे सवार के जोखिम को। इस प्रकार, वह बीमा केवल "एक्ट ओनली पॉलिसी" था। अतः

आवश्यक है कि पहले यह समझा जाए कि अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी निर्गत करते समय बीमा अनुबंध की शर्तें क्या थीं। वर्तमान प्रकरण में पॉलिसी 'टू-व्हीलर पैकेज पॉलिसी' थी, जिसके अन्तर्गत मूलभूत तृतीय पक्षकार जोखिम के अतिरिक्त वाहन स्वामी एवं चालक का जोखिम भी बीमित से प्रीमियम स्वीकार कर आच्छादित किया गया था। "तृतीय पक्षकार" शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया प्रीमियम पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के साथ पढ़ा व समझा जाना आवश्यक है। पॉलिसी की धारा □□, जो कि तृतीय पक्षकार के प्रति बीमाकर्ता के दायित्व से संबंधित है, में बीमाकर्ता ने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक चोट, जिसमें वाहन में बैठे सवार भी सम्मिलित हैं, के दायित्व स्वीकार की है। इसका अर्थ यह है कि पक्षकारों के मध्य किए गए अनुबंध के अनुसार "तृतीय पक्षकार" शब्द का आशय वाहन में बैठे सवारों से भी है। यह बीमाकर्ता का दायित्व था कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे कि बीमा अनुबंध करते समय मोटर साइकिल में बैठे सवारों का जोखिम आच्छादित करने का अभिप्राय नहीं था। जब ऐसा नहीं किया गया, तो उक्त पॉलिसी न केवल मूलभूत तृतीय पक्षकार जोखिम व स्वामी/चालक का जोखिम आच्छादित करती है, बल्कि वाहन में बैठे सवारों का भी जोखिम आच्छादित करती है। अतः इसे "एक्ट ओनली पॉलिसी" न मानकर एक व्यापक बीमा पॉलिसी के रूप में समझा जाएगा। यहां तक कि व्यापक बीमा पॉलिसी में भी बीमाकर्ता अनुबंध की शर्तों से बाध्य रहता है। अधिकरण के समक्ष बीमाकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि जबकि पॉलिसी की धारा □□ में तृतीय पक्षकार दायित्व के अन्तर्गत वाहन में बैठे सवार सम्मिलित थे, फिर भी बीमाकर्ता ने बीमित मोटर साइकिल में बैठे सवारों के जोखिम को आच्छादित करने हेतु प्रीमियम स्वीकार नहीं किया था। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व पूर्णतया बीमाकर्ता पर था। पॉलिसी की शर्त स्पष्टतः "तृतीय पक्षकार का दायित्व" शीर्षक के अन्तर्गत यह व्यवस्था करती है कि बीमाकर्ता वाहन में बैठे सवार सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक चोट के संबंध में विधिक रूप से उत्तरदायी होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **<u>महाप्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम. लक्ष्मी एवं अन्य, 2009 (1) टी.ए.सी. 6 (सुप्रीम कोर्ट)</u>** में टैरिफ एडवाइजरी कमेटी द्वारा दिनांक 2 जून, 1986 को जारी परिपत्र का उल्लेख किया गया था, जिसके अन्तर्गत यह कहा गया था कि मोटरसाइकिल के लिए मानक प्रपत्र व्यापक बीमा पॉलिसी के मामले में पिछली सीट पर

बैठे यात्रियों के दायित्व को आच्छादित करेगा। तथापि, चूँकि वहाँ बीमा पॉलिसी "एक्ट ओनली पॉलिसी" थी, इसीलिए यह निर्णय दिया गया कि वाहन स्वामी पर यह कोई वैधानिक दायित्व नहीं है कि वह अपने वाहन का बीमा ऐसे किसी भी यात्री के जोखिम को आच्छादित करने के लिए कराए, जो उक्त वाहन में यात्रा कर रहा हो। इसी आधार पर यह *माना गया कि बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं है।* परन्तु, वर्तमान मामले में स्थिति भिन्न है। पॉलिसी की शर्तों के अन्तर्गत बीमित वाहन में बैठे किसी भी व्यक्ति सहित के जोखिम को "*तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व*" (Liability to Third Parties) खंड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था, इस शर्त के अधीन कि ऐसे सवारों को किराए अथवा पारिश्रमिक पर नहीं ले जाया जा रहा हो। वर्तमान मामले में यह आक्षेपित नहीं है कि दुर्घटना के समय मृतक को मोटरसाइकिल में किराए अथवा पारिश्रमिक पर नहीं ले जाया जा रहा था। अतः यह बीमाकर्ता का दायित्व था कि वह यह सिद्ध करे कि वाहन में सवार व्यक्तियों के जोखिम को आच्छादित करने हेतु उसने प्रीमियम स्वीकार नहीं किया था।"

9. "इन परिस्थितियों और प्रकरण की विशिष्ट तथ्यगत स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा विचार है कि बीमा कंपनी द्वारा निर्गत पॉलिसी की शर्तों के *धारा II* में, जो *तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व* से संबंधित है, मोटरसाइकिल में बैठे सवारों के जोखिम को स्पष्ट रूप से आच्छादित किया गया है। साथ ही, बीमाकर्ता द्वारा बीमा अनुबंध की शर्तों तथा 'तृतीय पक्षकार' शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त प्रीमियम को स्पष्ट करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और पॉलिसी भी एक *व्यापक पॉलिसी* है। अतः *अधिकरण* द्वारा बीमा कंपनी पर मुआवजा अदा करने का दायित्व अधिरोपित करना न्यायोचित है।

10. परिणामस्वरूप, इस अपील में कोई बल नहीं है, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur